न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)
पीठासीन श्री विश्वामित्र मीना RAS

प्रार्थना पत्र सं०-108/2019

1- पूरणमल पुत्र स्व० भौरीलाल
2- बाबूलाल पुत्र स्व० भौरीलाल
3- रामरतन पुत्र स्व० भौरीलाल
जातियान मीणा निवासी-रामपुरा उर्फ बाढियावाला
तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

....प्रार्थीगण

बनाम

1- कमली देवी पत्नि फूलांचन्द
2- शान्ति देवी पत्नि मूलचन्द
3- मूलचन्द पुत्र गट्टूराम
4- फूलचन्द पुत्र गट्टूराम
जातियान मीणा निवासी- मालावाला तहसील
जमवारामगढ जिला जयपुर
5- राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
(जयपुर)

....अप्रार्थीगण

1- श्री महेश शर्मा (प्रार्थीगण वकील)
2- श्री रमाकान्त शर्मा (अप्रार्थीगण वकील)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251-क राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 03/02/2020

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(2)

अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम रामपुरा उर्फ डाढियावाला पटवार हल्का डूंगरगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 554 रकबा 0.24 हेक्टेयर अनुसार स्थित है जिसमें मुताबिक खातेदारी हक हस्ब हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 554 की भूमि के आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अनुसार स्थित कृषि भूमि ख0नं0 556 रकबा 0.38 हेक्टेयर एवं ख0नं0 557 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से होकर पश्चिमी दिशा की ओर से 16 फुट चौड़ाई में अर्से पुराना रास्ता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते में से होकर ही प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में आते जाते है इसलिये उक्त रास्ता के अलावा आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन नहीं होने के कारण अभी हाल में ही दिनांक 16/10/18 को अप्रार्थी स0। लगायत 5 ने रास्ते की भूमि को अवरुद्ध करते हुए डीमार के हित में हस्तक्षेप करते हुए मौके पर खंभे के तार बांध कर छड़ियों से रास्ता बन्द कर दिया। गांव वालों की आपती समझाईश करने पर अपने तार, छड़िया वापस हटा ली।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित अनुसार प्रार्थी

P.T.O.

ह0 अप0।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

की कृषि भूमि ख० नं० 554 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 556, 557 में पश्चिमी दिशा की ओर से 16 फुट चौड़ाई अनुसार गैर-मुमकिन आम रास्ता कायम करते हुए, राजस्व नक्शे में राज्य सरकार के नाम दरामद इन्द्राज हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं०3 की ओर से एडवोकेट श्री रामकरण शर्मा दिनांक 7/3/19 को उपस्थित हुए। और जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 8/5/19 को अप्रार्थी सं०3 की ओर से जवाब मय प्रारंभिक आपत्तियां के पेश किया। दिनांक 10/6/19 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 अन्डरटेकिंग दी और अप्रार्थी सं०5 फूलचन्द स्वयं उपस्थित हुआ। एवं आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। एड० श्री रामकरण शर्मा 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10/6/19 को प्रार्थना पत्र 25 क पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली को बाते आदेश विचाराधीन रखा गया जिसमें आगामी तिथि 17/6/19 नियत की गई।

दिनांक 17/6/19 आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 26/4/19 को निरस्त कर पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु उभय पक्षों के वकीलों की बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये गये कि विवादित भूमि के लिये रास्ता किस-किस

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

खसरा नम्बरों में है। भूमि के लिये नजदीक व सीधा रास्ता किस भूमि से दिया जा सकता है स्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ को पत्र लिखा गया।

अन्त प्रकरण को सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ को हस्तान्तरण किया गया। लेकिन क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने पर पत्रावली सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ से दिनांक 28/11/2019 प्राप्त हुई।

अप्रार्थी सं० 3 की ओर से जवाब मय प्रारंभिक आपत्तियां का पेश किया जिसमे अंकित किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सभी मदो को अस्वीकार किया। तथा ख०न०- 554 के साथ ही खाता स० 52 में ख०न० 555 भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि है। जिसमे दर्ज काश्त पक्षकारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है ख०न० 555 के लगता मौके पर रास्ता ग्राम खुशालपुरा की सीमा से ख०न० 500 गैरमु० रास्ता से जुड़ा हुआ है। तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है

ख०न० 556 व 557 मे से होकर पश्चिमी दिशा की ओर से 10 फुट चौड़ा रास्ता अर्से पुराना रास्ता नहीं है बल्कि मिन-उतरदाता की गैर मौजूदगी में प्रार्थीगण ने जबरन मोहरम डालकर रास्ता बनाया है जिसके विरुद्ध तहसीलदार जमवारामगढ़ के यहां धारा 183 बी का प्रकरण लम्बित है। ख०न० 556 व 557 की सुरक्षार्थ हेतु श्रीमान जी के समक्ष खातेदार फूलचन्द पुत्र गट्टू राम ने प्रार्थीगण पूरणमल वगैरह के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण पूरणमल वगैरह को प्रतिबंधित कर रखा है। प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों को

P.T.O→

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

छिपाकर ख०नं० 554 में आवागमन के कथन किये है जो निराधार है प्रार्थीगण का ख०नं० 554 के साथ ही ख०नं० 555 शामलाती है जिसमें भुगलपुरा से रास्ता जुड़ा हुआ है जिसको जवाब दावा/प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शे रास्ता दर्शित किया हुआ है जो मौके पर चालू है। उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता उपलब्ध है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है इसके अलावा ग्राम रामपुरा उर्फ दादियावाला में स्थित ख०नं० 500 गै०मु० रास्ता स्थित है जिसे नजरी नक्शे में दर्शित किया हुआ है जो रास्ता चाहे गया जो काफी दूर है ख०नं० 555 गै०मु० रास्ता रच होता हुआ ख०नं० 555 व 554 के लगता स्थित है जो काफी नजदीक है। 251A के अन्तर्गत नजदीक रास्ता ही दिया जा सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण की भूमि ग्राम भुगलपुरा मे स्थित ख०नं० 234, 241, 243 से लगती हुई है जो सरकारी रास्ते से मिली हुई है। और प्रार्थीगण ने ग्राम भुगलपुरा मे स्थित अपनी भूमि में रहवास हेतु मकान बना रखे है। जिनके लिये रास्ता मौके पर चालू व उपलब्ध है। इस प्रकार ख०नं० 554, व 555 के लगते ग्राम भुगलपुरा में प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमियां ख०नं० 234, 241, 243 रास्ते से लगती व रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 17/6/19 को पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/RNT/17/285 दिनांक 15/10/19 के द्वारा धारा 251-ए के तहत जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ख०नं० 556 रकबा 0.38 हेक्टेयर एवं ख०नं० 557 रकबा 0.28 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 में से 251 के तहत रास्ता चाहा है मौके पर ख०नं० 556, 557 में अधिकांश हिस्से में मोरम डली हुई। वर्तमान में रास्ता अवरुद्ध है.

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(6)

ख०नं० 500 रकबा 0.31 हैक्टेयर किस्म गै० मु० रास्ता जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम है। जो कि मौके पर रास्ता कई वर्षो से बन्द है। ख०नं० 554 के नजदीक है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मदों में अंकित तथ्य व जवाब उक्त जवाब (प्रारम्भिक आपत्तियां) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि ख०नं० 554, व 555 में अप्रार्थीगण सह खातेदार है। तो फिर अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में आवाजाही कहां से व कैसे करते है इस तथ्य का अंकन नहीं किया गया है बल्कि सत्य बात यह है कि ख०नं० 554 में आवाजाही हेतु मात्र ख०नं० 556 व 557 में से होकर ही रास्ता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण मात्र केवल प्रार्थीगण को आवाजाही को बाधित करना चाहते है। प्रकरण में सलंग्न नजरी नक्शे में प्रदर्शित अनुसार गै०मु० रास्ते को जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शे में भी अमल किया जावे। अतः कृषि भूमि ख०नं० 554 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 556 व 557 में पश्चिमी दिशा की ओर 16 फिट चौड़ाई गै०मु० रास्ता कायम करते हुऐ आम गै०मु० रास्ते का जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में अमल दरामद इन्द्राज किया जावे।

अप्रार्थी वकील श्री रामकरण शर्मा ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां के कथनों को दोहराते प्रार्थीगण के नाम ख०नं० 554 व 555 की शामलाती भूमियां एक ही खाते में दर्ज है जिनमें से प्रार्थीगण ने जान बूझकर ख०नं० 555 को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया चूंकि ख०नं० 555 जो कि प्रार्थीगण की स्वंय की खातेदारी भूमि है

P.T.O

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(7)

जिसके उत्तर दिशा में चुगालपुरा की ककंड सीमा स्थित है जिसके लगते हुए प्रार्थीगण की ग्राम चुगालपुरा में स्थित खातेदारी भूमि ख०नं० 234, 241, 243 प्रार्थीगण की स्वयं की शामलाती भूमियां है। जो ख०नं० 555 लगती है जो रास्ते से लगती हुई ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को ख०नं० 555 व 554 में पहुंचने का रास्ता ख०नं० 234, 241, 243 से है। इसलिये प्रार्थना पत्र 251क के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

ख०नं० 554, व 555 दोनो ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खसरा नम्बर है जिसके नजदीक होकर ख०नं० 550 गै०मु० रास्ता चालू है तथा रास्ता ख०नं० 555 के अति-नजदीक होने से भी प्रार्थीगण को ख०नं० 556, व 557 में होकर रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्रा०पत्र 251क को खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में नजीरें व न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2016 (1) RRT P-649 राजस्थान हाई कोर्ट भागसिंह बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू अजमेर, 2016 (1) RRT P-440 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर जबरमल बनाम करणसिंह, तहसीलदार जमवारामगढ़ को लिखा पत्रांक 5478 दिनांक-27/6/17, पत्रिका में प्रकाशन खबर, FIR की फोटो प्रति, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र सं० 119/2018 श्रवण फूलचंद बनाम पूरणमल व अन्य की फोटो प्रति, प्रकरण सं० 120/2018 श्रवण फूलचंद बनाम बाबूलाल व अन्य स्टे आदेश दिनांक 23/10/18 की प्रति पेश की।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि ख०नं० 554 ग्राम रामपुरा उर्फ धाविशाला में आवागमन हेतु

P.T.O.

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(8)

अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 556 व 557 में से 16 फुट चौड़ाई का रास्ता धारा 251क तहत चाहा है आवेदित भूमि के लिये रास्ता की भूमि ख0न0 552 की भूमि नजदीक है चाहे गये ख0न0 556 व 557 की दूरी अधिक है। 251क के प्रावधानो के अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता दिया जाना प्रावधान है आवेदित भूमि के आवागमन हेतु ख0न0 556 व 557 की दूरी अधिक होने से रास्ता दिया जाना उपायोचित नहीं है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251क को खारिज किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 12:37:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: